

19
लेख क्रमांक 30.7.19 को पेश है।
उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

30/7/19
वकील उमय पक्ष उपर/ बटस वकील उमय
पक्ष शुनी गई। पत्रावली वास्तु आदेश
क्रमांक 31.7.19 को पेश है।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

31/7/19
पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपर/
वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली में निर्णय लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फिलाल थ्रुगार होकर बाद वकील उमय पक्ष
किया जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: हेमराज परिड़वाल, आर.ए.एस.

1. रामकिशोर,
2. केदार,
3. श्रीराम

पुत्रगण अंगद, जाति मीना, निवासी जाहरा, तहसील बामनवास

वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती

व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 54/2010

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। इस वाद में आज दिनांक 21/7/2019 को मुझ पीठासीन अधिकारी हेमराज परिड़वाल, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 21/7/2019 को जारी की गई।

उप जिला कलेक्टर

बामनवास (जिला-संभाउ)
(हेमराज परिड़वाल)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुकमनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुकमनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

